भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-334

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल भवन तथा राष्ट्रीय स्तर की नर्सरियां

†***334. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त नीति के तहत देश भर के सभी जिलों में बाल भवन स्थापित करने का कोई लक्ष्य रखा है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नर्सरियों में बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

माननीय संसद सदस्य एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल भवन तथा राष्ट्रीय स्तर की नर्सरियां' के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 334 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) प्री-प्राइमरी स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना;

(ii) 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;

(iii) नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4);

(iv) कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच किसी कठिन विभाजन का नहीं होना;

(v) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना;

(vi) बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल; शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

(vii) मूल्यांकन सुधार - किसी भी स्कूल शिक्षा वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो;

(viii) एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना;

(ix) समान एवं समावेशी शिक्षा - सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल दिया गया;

(x) शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया;

(xi) राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना;

(xii) स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव;

(xiii) उच्चतर शिक्षा में जीईआर को बढ़ाकर 50% करना;

(xiv) बहु प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र और बहुआयामी शिक्षा;

(xv) उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा;

(xvi) अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना;

(xvii) बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना;

(xviii) नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;

(xix) उच्चतर शिक्षा के लिए एकल नियामक;

(xx) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का विस्तार;

(xxi) शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण;

(xxii) ग्रेडेड स्वायत्तता के माध्यम से संबद्ध महाविद्यालयों की प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना;

(xxiii) बहु-विषयक वातावरण में शिक्षक शिक्षा;

(xxiv) अधिगम, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ़) बनाना। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण।

(xxv) शत प्रतिशत युवा एवं वयस्क साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना;

(xxvi) नियंत्रण और संतुलन के साथ कई तंत्र उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यीकरण का मुकाबला करेंगे और उसे रोकेंगे।

(xxvii) सभी शैक्षिक संस्थाओं को 'लाभ के लिए नहीं' संस्था के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों पर रखा जाएगा;

(xxviii) केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी) उन राज्य बाल भवनों को संबद्धता प्रदान करता है जो इसके लिए आवेदन करते हैं और एनबीबी के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं। एनबीबी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, देशभर में पात्र संगठनों को संबद्ध करता है, बशर्ते कि वे संगठन एनबीबी के प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें पूरी करते हों। वर्तमान में, भारत में 127 बाल भवन एनबीबी से संबद्ध हैं। इनमें से, महाराष्ट्र में 6 राज्य बाल भवन मुंबई, धुले, नागपुर और औरंगाबाद में स्थित हैं।

(घ) से (च): मंत्रालय में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, एनईपी 2020 में 3 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के आजीवन अधिगम और विकास की नींव के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के महत्व पर बल दिया गया है। यह खेल-आधारित, लचीले और बहुआयामी पाठ्यचर्या के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुंच की सिफारिश करती है, जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह नीति नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना को लागू कर ईसीसीई को प्राथमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करती है, जहां प्रथम पांच वर्ष आधारभूत चरण का निर्माण करते हैं।

*****